न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, कैम्प कोर्ट रीवा (म0प्र0)

निगरानी क्र0 /2014

Rs 20/-

R-4149-III/14

सुनील गुप्ता तनय श्री कौशल गुप्ता उम्र 36 साल, पेशा व्यापार, निवासी करही (हनुमानगंज) तह0 रामपुर बघेलान जिला सतना म0प्र0 ---. निगरानीकर्ता

बनाम

1:- अशोक सिंह तनय स्व0 लक्ष्मी नारायण सिंह 42 साल, निवासी करही (हनुमानगंज) तह0 रामपुर बघेलान जिला सतना (म0प्र0)

2:- लक्ष्मी नारायण सिंह तनय श्री अमरीक सिंह उम्र 75 वर्ष, निवासी करही (हनुमानगंज) तह0 रामपुर बघेलान जिला सतना म0प्र0)

---- गैर निगरानीकर्तागण

821
24.11.14

श्री सुनील कुमार एडवोकेट के द्वारा आज दिनांक 24.11.14 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

क्रमांक 3845
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक ______ को प्राप्त
5-12-14
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार तह0 रामपुर बघेलान, जिला सतना के राजस्व प्रकरण क्रमांक 62ए/12/13-14 मे पारित आदेश दि0 4-8-2014

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजसं0 1959 ई0

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है:-

1:- यह कि निगरानीकर्ता ने गैर निगरानीकर्ता क्र0 2 से आ0 नं0 576/11 क/1/क/1 रकबा 0.16 ए0 के जुज रकबा 12×80=960 वर्गफिट दि0 11-8-77 को क्रय किया था जिनके नाम विधिवत नामान्तरण हो गया। बटे नं0 पड़ गये है। निगरानीकर्ता के नाम आ0 नं0 576/11 क/1 क/ख रकबा 12×80=960 वर्गफिट

क्रमशः/2

अशोक कुमार

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक RN/1549-III/14 ...... जिला सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30/9/15	आवेदक के अधिवक्ता को ग्राह्यता बिन्दु पर सुना गया एवं प्रकरण का अवलोकन किया। 2. यह निगरानी तहसीलदार, तहसील रामपुर बघेलान, जिला सतना के आदेश 5-8-14 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है। निगराकार का कहना है कि भूमि ख.नं. 576/1 का 1 का वह भूमिस्वामी है किन्तु उसे बटांकन बताये बिना एवं कोई सूचना, मौके पर बिना नाप किये सीमांकन सम्बन्धी दस्तावेज तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। 3. निगरानी ज्ञापन के साथ प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 5-8-14, राजस्व निरीक्षक का प्रतिवेदन, सूचना-पत्र, मौका पंच एवं स्थल पंचनामा की प्रमाणित प्रति संलग्न की गई है। सूचना पत्र के अवलोकन से पाया जाता है कि निगरानी कर्ता को विवादित भूमि के सीमांकन	

(31)

R 4149-III/14 सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	के सम्बन्ध में स्पष्टता नहीं दी गई है, एवं स्थल पंचनामा में भी इसके कहीं हस्ताक्षर नहीं हैं। 4- म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 129 के तहत सीमांकन की व्यवस्था है जिसमें सरहदी काश्तकारों को सूचना देकर ही सीमांकन की कार्यवाही की जाती है। निगरानीकर्ता एक सरहदी काश्तकार/भूमिस्वामी है इसके सूचना के बगैर किया गया सीमांकन संहिता के प्रावधान के विरुद्ध है। फलतः निगरानी स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 4.8.14 निरस्त किया जाता है। तहसीलदार को पुनः निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नाधीन भूमि का पुनः सीमांकन निगरानीकर्ता सहित अन्य सरहदी भूमिस्वामियों को विधिवत सूचना देकर एवं उनकी आपत्ति पर विचार करते हुए करें। 5- प्रकरण दायरा पंजी से खारिज किया जावे। 6- अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजी जाय। तत्पश्चात प्रकरण अभिलेखागार में जमा किया जाय। (हस्ताक्षर) सदस्य	